



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 कार्तिक 1939 (श10)

(सं0 पटना 1034) पटना, मंगलवार, 7 नवम्बर 2017

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

7 नवम्बर 2017

एस0 ओ0 261 दिनांक 7 नवम्बर 2017—बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXVI) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली के नियम-3 का प्रतिस्थापन।— बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 का नियम-3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा —

“3. निबंधन के लिए आवेदन।— (1) प्रत्येक कर-निर्धारिती द्वारा निबंधन के लिए आवेदन वाणिज्य-कर के विभागीय वेबसाइट पर प्रपत्र I में, बिहार विद्युत शुल्क दायित्व के आरंभ होने के अथवा विभागीय गजट में इस नियम के प्रकाशित होने के अथवा विद्युत जेनेरेशन या विद्युत आपूर्ति के कारोबार करने की तारीख अथवा ऊर्जा जेनेरेशन या उपभोग करने की तिथि से एक माह के भीतर (जो बाद में हो) इलेक्ट्रॉनिक रीति से दाखिल किया जायेगा।

(2) आवेदन, कर-निर्धारिती अथवा उनकी ओर से किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापन के पश्चात्, विनिर्दिष्ट कागजातों के साथ, विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वाणिज्य-कर विभाग के विभागीय वेबसाइट पर दाखिल किया जाएगा।”

2. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली के नियम 4 में संशोधन।— बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 का उपनियम-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा —

“(1) जब उचित प्राधिकारी का, ऐसी जाँच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएँ सही-सही दी हैं और आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है तो वह आवेदक को पंजीकृत करेगा और प्रपत्र II में निबंधन प्रमाण प्रदान करेगा जो आवेदक को वाणिज्य-कर विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।”

3. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली 1949 के नियम-7 में उपनियम (3) का जोड़ा जाना।— बिहार विद्युत शुल्क नियमावली 1949 के नियम-7 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, यथा—

“(3) नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, एक निबंधित कर निर्धारिती, सरकारी कोष या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अन्य प्राधिकृत बैंक में, वाणिज्य-कर विभाग के शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रीति से इस अधिनियम के अधीन देय किसी शुल्क या ब्याज या अर्थदंड का भुगतान करेगा।”

4. यह अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(संसं० बिक्री कर/संशोधन-10/2015-3982)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव वाणिज्य-कर विभाग।

7 नवम्बर 2017

एस0ओ0 262, एस0ओ0 261 दिनांक 7 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(संसं० बिक्री कर/संशोधन-10/2015-3982)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव वाणिज्य-कर विभाग।

The 7th November 2017

S.O. 261, Dated 7th November 2017— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Bihar Electricity duty Act, 1948 (Bihar Act xxxvi of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Electricity duty Rules, 1949, namely-

Amendments

1. **Substitution of rule 3 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.**— Rule 3 of Bihar Electricity Duty Rules 1949 shall be substituted by the following, namely :-

“3. *Application for Registration* – (1) An application for registration shall be electronically filed at the official website of the commercial taxes department by every assessee in Form I, within a month of his incurring liability to pay duty under this Act, or within a month of the date of the publication of this rules in the official Gazette or of the date of engagement in the business of generating or supply energy or the date of generating or consuming energy by such assessee, whichever is later.

- (2) The application shall be signed by the assessee, or by an authorized agent on this behalf and shall after being verified in the manner indicated therein be submitted along with the documents specified in the said Form at the official website of the commercial taxes department."

2. Amendment in rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.— Sub-rule (1) of rule 4 of Bihar Electricity Duty Rules 1949 shall be substituted by the following, namely :-

"(1) When the appropriate authority after making such enquiry as he considers necessary, is satisfied that the applicant has given all the required information and that the application, is in order, he shall, register the applicant and grant him a certificate of registration in Form II which shall be made available to be applicant on the official website of the commercial taxes department."

3. Addition of sub-rule (3) in rule 7 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.—The following new sub-rule (3) shall be added after sub-rule (2) of rule 7 of the Bihar Electricity Duty Rules 1949 Rules, namely :-

"(3) Notwithstanding anything contained in the Rules a registered assessee shall make payment of any duty or interest or penalty under the Act into any branch of the State Bank of India or any other Nationalized Bank or any other authorized Bank in electronic manner through the official website of the Commercial Taxes Department."

4. This notification shall come into force with effect from 31st October, 2017.

[(File No. Bikri-Kar/Sansodhan-10/2015-3982)]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1034-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>